पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही–विवरण

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

कार्य परिषद् की 54 वीं बैठक
दिनांक 14 / 10 / 2016, दिन शुक्रवार
समय : 12:00 बजे पूर्वान्ह
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria
PSSOU, CG Bilaspur

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 54 वीं बैठक का कार्यवाही–विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की कार्य परिषद् की 54 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 14/10/2016, दिन शुक्रवार पूर्वान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **डॉ. एस. के. जाधव** – सदस्य
   प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

3. **डॉ. एस. आर. पटेल** – सदस्य
   अधिष्ठाता
   ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

4. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह** – सदस्य
   सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर
   (कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

5. **डॉ. राजकुमार सचदेव** – सचिव
   कुलसचिव
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **उपाध्यक्ष** – सदस्य
   सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
   नया रायपुर (छ.ग.)

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

2. **उपाध्यक्ष** – सदस्य
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

3. **प्रो. देबाल कुमार सिंहरॉय** – सदस्य
आचार्य
समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा मनोनीत)

4. **श्री एस.के. चक्रवर्ती** – सदस्य
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

5. **श्री एस. एल. नायक** – सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

6. **डॉ. बी.एल. गोयल** – सदस्य
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा कार्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मनोनीत)

7. **श्री ओ. पी. सिंघानिया** – सदस्य
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
अग्रसेन मार्ग, भिलाई
जिला–दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

8. **सचिव** – सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

VERIFIED

कार्य परिषद् की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई तथा आधा घंटा के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई, तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria
PSSOU, CG Bilaspur

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 53 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा कार्यपरिषद् की 53 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव कं 2 अध्ययन केन्द्रों को मान्यता एवं पोषण संबंधी नियम के अनुमोदन परं विचार एवं योजना मंडल की 6 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का अवलोकन/विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् में चर्चा के दौरान कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया है कि "अध्ययन केन्द्रों को मान्यता एवं पोषण संबंधी नियम" को विश्वविद्यालय अधिनियम कमांक 26 सन् 2004 की कंडिका 5 (9), विश्वविद्यालय परिनियम कमांक 02 की कंडिका 9 (4) एवम् परिनियम कमांक 03 (A) की कंडिका 31 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से उक्त नियम में निम्नानुसार संशोधन करने/जोड़ने का निर्णय लेते हुये अनुमोदन किया गया –

1. पृष्ठ कमांक 22 में उल्लेखित शब्द "**निजी महाविद्यालय**" के स्थान पर "**अशासकीय महाविद्यालय**" किया जाये।
2. पृष्ठ कमांक 26 में उल्लेखित वाक्य "**समय पर सत्रीय कार्य (असाईनमेंट) जमा और मूल्यांकन करवाने की जिम्मेदारी होगी। मूल्यांकन पारिश्रमिक विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।**" के स्थान पर "**विश्वविद्यालय के नियमानुसार मानकों का पालन करते हुए समय पर सत्रीय कार्य जमा और मूल्यांकन कराने में सहयोग देना। मूल्यांकन पारिश्रमिक विश्वविद्यालय के माध्यम से देय होगा।**" किया जाये।
3. पृष्ठ कमांक 26 में उल्लेखित वाक्य " **एक अध्ययन केन्द्र में एक समन्वयक प्राचार्य होंगे**" के स्थान पर "**अध्ययन केन्द्र में समन्वयक प्राचार्य होंगे**" किया जाये।
4. पृष्ठ कमांक 27 में पैरा "**विवाद की स्थिति**" में "अध्ययन केन्द्र की मान्यता एवं पोषण संबंधी नियम या अनुबंध से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में उसे माननीय कुलपति जी के समक्ष रखा जायेगा। उस विवाद पर माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों के लिए मान्य होगा।" किया जाये।

अनुबंध संबंधी प्रावधानों को विश्वविद्यालय के पैनल लायर से अद्यतन चेक करा लिया जाये।

VERIFIED
REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open) University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

प्रस्ताव कं 3 विद्या परिषद् की 21 वीं बैठक दिनांक 07/10/2016 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा विद्यापरिषद् की 21 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि –

1- विद्या परिषद् एवम् मानद उपाधि समिति की अनुशंसा को विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। गोपनीयता की दृष्टि से अनुशंसित नाम/नामों को कार्यवाही–विवरण में नहीं लिखे जाने का निर्णय लिया गया। अनुशंसित नाम/नामों को माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये।

2. दीक्षांत समारोह में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रावीण्य सूची में प्रथम तीन छात्रों को डिग्री प्रदाय करने के लिये आमंत्रित किया जाये।

प्रस्ताव कं 4 गोपनीय विभाग के छः कर्मचारियों को परिणाम निकालने की तैयारी एवं घोषणा हेतु प्रोत्साहन राशि कुल रू. 12,000/– की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 5 अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश संख्या के आधार पर सहायक समन्वयकों/सहायकों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 6 विश्वविद्यालय के समस्त पाठयकमों में सत्र 2017 से शुल्क रू. 200/– की वृद्वि पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन इस संशोधन के साथ किया गया कि छात्रों को पाठ्यसामग्री एवं अंकसूची का प्रेषण पंजीकृत डाक के स्थान पर स्पीड–पोस्ट से किया जाये।

प्रस्ताव कं 7 विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 08/10/2016 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open) University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criterion
PSSOU, CG Bilaspur

प्रस्ताव कं 8 विश्वविद्यालय के लिये दो नये वाहन के कय पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि दो वाहन नियमानुसार (डीजीएसंडी दर) कय प्रकिया का पालन करते हुये किया जाये। दोनों वाहनों को पुल में अधिकारियों / कर्मचारियों के उपयोग हेतु किया जा सकेगा।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –</u>

प्रस्ताव कं 9 विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव कं 10 विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृत कम्प्यूटर आपरेटर पद के संशोधित वेतनमान स्वीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि पदनाम "कम्प्यूटर आपरेटर" के स्थान पर "डाटा एंट्री आपरेटर" परिवर्तित किया जाये एवं तदनुसार उस पद का संशोधित वेतनमान स्थानीय निधि संपरीक्षा से अनुमोदन पश्चात् प्रदान किया जाये। यह भी देख लिया जायें कि दोनो पदों की शैक्षणिक योग्यता समान हो एवं संबंधित कर्मचारी वह योग्यता रखते हो।

प्रस्ताव कं 11 मेघावी विद्यार्थियों के लिए **"धर्मादा निधि"** से स्वर्ण पदक प्रदाय किये जाने संबंधी अध्यादेश क्रमांक 39 (10) के कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 12 विश्वविद्यालय में कार्यरत भृत्यों को वेतनमान प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम राज्य शासन से विश्वविद्यालय में कार्यरत भृत्यों को वेतनमान रू. 4750–7440+1300 (ग्रेड पे) प्रदान किये जाने हेतु पत्र लिखा जाये, साथ ही इस पद पर वेतन मद व्यय को आकस्मिकता निधि में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रकरण को विचार हेतु रखा जाये।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

(राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव / सचिव

18.10.16
(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur